संख्या : 57 /66–2004

प्रेषक :

श्री बी0पी0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य :

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अम्बेडकर ग्राम विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 8 जनवरी, 2004

विषयः प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यान्वयन की समय–सारिणी।

महोदय,

पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के विषय में तथा इस योजना को प्रदेश के विकास हेतु प्राथमिकता पर रेखांकित किया गया है।

1– संख्या 1996 / 66–2003 दि0 9–12–2003
2– संख्या 1439 / अ0ग्रा0वि0वि0 / 03 दि0 12–12–2003
3– संख्या 1451 / अ0ग्रा0वि0वि0 / 03 दि0 24–12–2003

2– दिसम्बर, 2003 के द्वितीय पक्ष की प्रगति रिपोर्ट 8 जनवरी, 2004 तक प्राप्त होनी है। इन शासनादेशों में स्पष्ट किया गया था कि 16 सूत्री कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक विधानसभा / विधान परिषद क्षेत्रवार 10–10 गांवों का चयन करके उन्हें संतृप्त करने की अविलम्ब कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

3– समय बहुत कम है और इसलिए इस योजना की सतत् समीक्षा और इसके कार्यान्वयन पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य सम्पादन हेतु निम्न समय–सारिणी से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

क्र.सं.	कार्यों का विवरण	समय सीमा
1.	गांवों का चयन कर उनमें 16 सूत्रों की कार्ययोजना का अभिज्ञान और उसका शासन को प्रेषण।	8.1.2004
2.	चयनित गॉवों की कार्ययोजना के अनुसार कार्य की प्रथम प्रगति आख्या जो 15.01.2004 तक की हो, का प्रेषण।	23.1.2004
3.	(क) उन सूत्रों का विवरण जिनसे गॉव 31.01.2004 तक संतृप्त हो गया।	8.2.2004
	(ख) उन सूत्रों का विवरण जिनसे गॉव संतृप्त नहीं हुआ तथा उनके संतृप्त होने का कैलेण्डर तथा संतृप्त होने के लक्ष्य की अन्तिम तिथि का प्रेषण।	
4.	सूत्र जो 28.02.2004 तक संतप्त हो जायेंगे।	23.2.2004
5.	सूत्र जो 15.03.2004 तक संतृप्त होंगे।	23.2.2004

अगले पेज हेतु क्लिक करें

6.	सूत्र जो 22.02.2004 तक संतृप्त होंगे तथा जो 15.03.2004 तक संतृप्त नहीं हो पायेंगे।	8.3.2004
7.	सभी 16 सूत्रों का संतृप्तीकरण की अन्तिम आख्या का प्रेषण।	23.3.2004
8.	ऐसे सूत्र जो संतृप्त नहीं हुए और जिन्हें 31.03.2004 तक संतृप्त किया जाना है, उनके विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विवरण और उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसका प्रेषण।	23.3.2004

4– संतृप्तीकरण के सत्यापन की त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी जायेगी और इसका कैलेण्डर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा और उनके निर्देशन में इसका सत्यापन तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, जिले के अन्य संबंधित अधिकारी तथा मुख्या विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। ऐसे जिलों में जहॉ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 से अनधिक है, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 5 गॉव तथा जहॉ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 से अधिक तथा 8 से अनधिक है वहॉ कम से कम 3 गॉव और जहॉ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 8 से अधिक है, वहॉ पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2 से 3 गॉव और पूरे जिले में 25 गॉव इस त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था में सत्यापन किया जाय, जिससे कार्य की गुणवत्ता में कोई संशय न रहे।

5– जिले में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं कम से कम 10 गॉवों का निरीक्षण करके यह देखा जायेगा कि कार्य निर्धारित मानक का है और विधि–सम्मत ढंग से किया गया है।

6– मण्डलायुक्त द्वारा अपने मण्डल में समग्र ग्राम्य विकास योजना हेतु चयनित कुछ गॉवों का निरीक्षण किया जाय और जहॉ पर कमी पाई जाय वहॉ पर विधि–सम्मत कठोर कार्यवाही की जाय।

मुझे यह भी कहने का अपेक्षा की गई है कि इस अति महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन की सूचना का प्रेषण उपर्युक्त समय–सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(बी0पी0 मिश्र)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 56 (1)66 /2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित :–

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
उप सचिव,

Top